वस्त्र आयुक्त कार्यालय की गतिविधियां

वस्त्र आयुक्त कार्यालय की स्थापना वर्ष 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की गई थी, इसकी स्थापना का उद्देश्य सेनाओं एवं सिविलयन लोगों को वस्त्रों की आपूर्ति की व्यवस्था करना था । विश्व युद्ध-ii की समाप्ति पर वस्त्र आयुक्त कार्यालय को युद्ध पश्चात् अभावपूर्ण स्थितियों में सिविल खपत के लिए उपलब्ध वस्त्रों की विशिष्ट किस्मों की कीमतें पर नियंत्रण एवं इनके वितरण और नियंत्रण का विनियामक उत्तरदायित्व सौंपा गया था ।

यद्यपि, एक अंतराल से इस कार्यालय ने विकासात्मक भूमिका अपनाई है तथा बहुमुखी वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण तथा चौतरफा विकास में अपना योगदान दिया है । यह कार्यालय वस्त्रोद्योग के लिये लाभकर विभिन्न योजनाएँ तैयार तथा कार्यान्वित करता है ।

विकेन्द्रित विद्युत करघा क्षेत्र के लिए योजनाएं

1. **प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत विकेन्द्रित विद्युत करघा क्षेत्र के लिए 20 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सबसिडी योजना ।**

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अन्तर्गत वस्त्रोद्योग में बुनाई पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है और वस्त्रोद्योग में इसका अपना एक विशिष्ट स्थान है । प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना छोटे विद्युत करघा इकाइयों को 1.00 करोड़ की लागत तक 20 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सबसिडी प्राप्त करने की सुविधा का विकल्प देकर सहायता प्रदान करता है इसके अतिरिक्त इस सेक्टर को विस्तृत क्रेडिट नेटवर्क, जिसमें सभी सहकारी बैंक एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य प्रामाणिक गैर बैंकिग वित्तीय कंपनियां समाविष्ट हैं, से ऋण लेने की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है ।

2. **विद्युत करघा सेवा केन्द्र (वि.क.से. केन्द्र)**

विभिन्न राज्यों के प्रमुख विद्युत करघा संकेन्द्रित क्षेत्रों में 44 विद्युत करघा सेवा केन्द्र स्थित हैं, जो कि विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेवाएं प्रदान करते हैं जिसके अन्तर्गत विद्युत करघा इकाइयों तथा बुनकरों को प्रशिक्षण, परीक्षण सुविधाएं, तकनीकी परामर्श, डिज़ाइन डेवलपमेन्ट तथा विविधीकरण आदि शामिल हैं । अब तक 21 विद्युत करघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया जा चुका है तथा आधुनिक करघें तथा संबंधित मशीनें तथा उपकरण लगाकर शेष विद्युत करघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । इन केन्द्रों को "वस्त्र सेवा केन्द्रों" का पुनरभिविन्यास करने के लिए योजनाएं प्रारंभ की जा रही हैं जिससे कि इन्हें उद्योग के अन्य खंडों के लिए भी सेवाएं प्रदान करने हेतु सुसज्ज किया जा सके । इन केन्द्रों में से अधिकतम केन्द्रों का प्रबंधन स्वायत्त संकाय के अधीन है ।

3. कम्प्यूटरीकृत डिज़ाइन केन्द्र (सीएडी केन्द्र)

विद्युत करघा सेवा केन्द्रों की तरह, सीएडी केन्द्र भी नए कम्प्यूटरीकृत डिज़ाइनों का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । वर्तमान में पूरे देश में विद्युत करघा क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे 17 केन्द्र हैं । मंत्रालय द्वारा प्रत्येक सीएडी केन्द्र को वित्तीय सहायता करने के लिए रू.6.75 लाख अनुदान राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती है ।

4. समूह वर्कशेड योजना

काम-काज के माहौल में सुधार करने की दृष्टि से एवं विद्युत करघा कामगारों की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने **समूह वर्कशेड योजना** अनुमोदित की है, जिसके अन्तर्गत वर्कशेड के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि निर्माण के यूनिट लागत के 25 प्रतिशत तक सीमित होगी एवं अधिकतम प्रति स्क्वेअर फीट रू.80/-स्वीकृत की जाएगी । अन्य आधारभूत सुविधाओं में सुधार करने की दृष्टि से उक्त योजना को वस्त्र केन्द्र आधारभूत सुविधाएं विकास योजना के साथ संबद्ध करने की संभावना है जो मौजूद तथा नये निर्माणाधीन वस्त्र केन्द्रों में विशेष आधारभूत सुविधाओं के सुधार हेतु केन्द्रीयकृत सहायता करती है।

5. विद्युत करघा बुनकरों के लिए समूह बीमा योजना ।

भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से **विद्युत करघा बुनकरों के लिए समूह बीमा योजना** प्रारम्भ की गई है । इस योजना के दो अलग-अलग भाग हैं :- **जनश्री बीमा योजना (ज बी यो) एवं** मृत्यु के लिए **एड ऑन समूह बीमा योजना (स बी यो)** । **जनश्री बीमा योजना** के अन्तर्गत विद्युत करघा कामगार जिनकी आय गरीबी की रेखा के नीचे हो अथवा गरीबी रेखा से थोड़ा ऊपर हो वे दुर्घटना के मृत्यु और स्थायी विकलांगता पर रू. 50,000/- तथा आंशिक स्थायी विकलांगता पर रू.25,000/- अथवा स्वाभाविक मृत्यु/आंशिक विकलांगता पर रू.20,000/- के बीमा राशि प्राप्ति के पात्र होंगे । वार्षिक बीमा की किस्त रू.200/- को भारत सरकार, लाभार्थी एवं भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा क्रमश: 60, 40 एवं 100 के अनुपात में अदा किया जाएगा । **एड ऑन समूह बीमा योजना** रू. 30,000/- की अतिरिक्त सुरक्षा रू.180/- के वार्षिक बीमा किस्त के भुगतान पर स्वाभाविक साथ ही साथ दुर्घटना में मृत्यु के लिए उपलब्ध होगी । इस बीमा की किस्त का भारत सरकार एवं लाभार्थी दोनों द्वारा बराबर मात्रा में खर्च वहन किया जायेगा । रूपये अदा करने पर बुनकर दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ प्राप्त कर सकते हैं ।

इस कार्यालय के तकनीकी एवं आर्थिकी स्कंध में व्यावसायिक अर्हता प्राप्त योग्य एवं अनुभवी अधिकारियों का दल नियुक्त है, जो कि इस कार्यालय की संगठनात्मक बल है । इसके अतिरिक्त इस

कार्यालय की प्रमुख टेक्सटाइलक्लस्टरों में स्थित 8 क्षेत्रीय कार्यालय एवं 14 विद्युत करघा सेवा केन्द्रों के द्वारा व्यापक पहुँच है । क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय के समन्वय से उद्योग जगत को विशेषकर उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्र को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं, जिससे कि हमारा वस्त्रोद्योग वैश्वीकृत अर्थ व्यवस्था की चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा कर सके ।

यह कार्यालय अपनी सक्रियात्मक एवं उद्योग कल्याणकारी भूमिका द्वारा वस्त्रोद्योग को सनशाईन उद्योग बनाने में सफल रहा है ।

***